भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
**लोक सभा**
लिखित प्रश्न सं. +37
सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ़, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

**पर्यटक और धार्मिक स्थलों का विकास**

**+37. श्री वाई. देवेन्द्रप्पाः**

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल के दशकों में देश में घरेलू पर्यटन यात्राएं विशेषकर धार्मिक पर्यटन में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देश में घरेलू पर्यटन यात्राओं की राज्य-वार संख्या कितनी रही है; और

(ग) पर्यटन और धार्मिक स्थलों की स्थितियों में सुधार करने के लिए और उन्हें पर्यटकों के अनुकूल बनाने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पर्यटन मंत्री** **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) और (ख): जी हां । 2019 तक घरेलू पर्यटन यात्राओं (डीटीवी) में वृद्धि हुई है, हालांकि, वर्ष 2020 के दौरान, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डीटीवी में कमी आई है । पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार डीटीवी का विवरण अनुबंध में दिया गया है । धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों के दौरे के आंकड़े केंद्रीय रूप से संरक्षित नहीं किए जाते हैं।

(ग): धार्मिक स्थलों सहित पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है । तथापि, देश में पर्यटन संबधी अवसंरचना तथा सुविधाओं के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार अपनी स्वदेश दर्शन, तीर्थस्थल, जीर्णोद्धार तथा आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) तथा केंद्रीय अभिकरणों को सहायता योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय अभिकरणों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है । योजना के अंतर्गत विकास हेतु परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से पहचानी जाती हैं तथा निधियों की उपलब्धता, संगत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को प्रस्तुत करने, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन तथा पहले जारी निधियों के उपयोग की शर्त पर स्वीकृत की जाती है ।

इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने नियोजित तथा चरणबद्ध रूप से पूरे भारत में फैले विरासत/प्राकृतिक/पर्यटक स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास करके पर्यटक हितैषी बनाने के लिए

''विरासत अभिग्रहण: अपनी धरोहर, अपनी पहचान'' परियोजना लांच की है जो कि पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक समन्वित प्रयास है । इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, कॉरपोरेट नागरिकों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), व्यक्तियों तथा अन्य हितधारकों को विरासत/प्राकृतिक/पर्यटक स्थलों पर बुनियादी तथा उन्नत पर्यटक सुविधाओं के उन्नयन तथा विकास का उत्तरदायित्व लेने के लिए प्रोत्साहित करना है । वे इनके संचालन तथा अनुरक्षण कार्य की देखभाल भी करेंगे ।

*******

**अनुबंध**

**पर्यटक और धार्मिक स्थलों का विकास** के संबंध में दिनांक 19.07.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 37 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

वर्ष 2018, 2019 और 2020 के दौरान घरेलू पर्यटन यात्राएं (डीटीवी)

| **क्र. सं.** | **राज्यों/संघशासित प्रदेशों** | **2018** | **2019** | **2020** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 498279 | 505398 | 191207 |
| **2** | आंध्र प्रदेश | 194767874 | 237051508 | 70828590 |
| **3** | अरुणाचल प्रदेश | 512436 | 555639 | 42871 |
| **4** | असम | 4710617 | 5447805 | 1266898 |
| **5** | बिहार | 33621613 | 33990038 | 5638024 |
| **6** | चंडीगढ़ | 1538796 | 1563795 | 417953 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 19329501 | 17304506 | 2810227 |
| **8** | दादरा और नगर हवेली | 609435 | 618330 | 104959 |
| **9** | दमन और दीव | 898824 | 897804 | 297436 |
| 10 | दिल्ली# | 29114423 | 36467598 | 9583671 |
| **11** | गोवा | 7081559 | 7127287 | 3258715 |
| **12** | गुजरात | 54369873 | 58864661 | 19464517 |
| **13** | हरियाणा | 4888952 | 4549017 | 2114731 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 16093935 | 16829231 | 3170714 |
| **15** | झारखंड | 35408822 | 35580768 | 2574704 |
| **16** | जम्मू और कश्मीर | 17076315 | 16163330 | 2519524 |
| **17** | कर्नाटक | 214306456 | 227934714 | 77453339 |
| **18** | केरल | 15604661 | 18384233 | 4988972 |
| **19** | लक्षद्वीप | 10435 | 6985 | 3462 |
| **20** | लदाख | - | 241285 | 6743 |
| **21** | मध्य प्रदेश | 83969799 | 88707139 | 23519632 |
| **22** | महाराष्ट्र# | 119191539 | 149294703 | 39234591 |
| **23** | मणिपुर | 176109 | 167560 | 49669 |
| **24** | मेघालय | 1198340 | 1245633 | 24734 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **25** | मिजोरम | 76551 | 163762 | 30890 |
| **26** | नागालैंड | 101588 | 125949 | 10979 |
| **27** | ओडिशा | 15208540 | 15307637 | 4622273 |
| **28** | पुडुचेरी | 1616660 | 1713248 | 1114942 |
| **29** | पंजाब | 44595061 | 47385387 | 16692197 |
| **30** | राजस्थान | 50235643 | 52220431 | 15117239 |
| **31** | सिक्किम | 1426127 | 1421823 | 316408 |
| **32** | तमिलनाडु | 385909376 | 494865257 | 140651241 |
| **33** | तेलंगाना | 92878329 | 83035894 | 39997001 |
| **34** | त्रिपुरा | 414388 | 437201 | 127815 |
| **35** | उत्तर प्रदेश | 285079848 | 535855162 | 86122293 |
| **36** | उत्तराखंड | 35609650 | 37585920 | 7005264 |
| **37** | पश्चिम बंगाल | 85657365 | 92366025 | 28841732 |
| | **कुल योग** | **1853787719** | **2321982663** | **610216157** |

स्रोत : राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पर्यटन विभाग

# वर्ष 2017 के आंकड़ों की 2018 में पुनरावृत्ति की गई है । इसके अलावा वर्ष 2019 और 2020 के लिए क्रमश: वर्ष 2018 के लिए 2019/18 की अखिल भारतीय विकास दर तथा वर्ष 2019 के लिए 2020/19 की अखिल भारतीय विकास दर के आधार पर अनुमान लगाया गया है ।

*******